कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक 623 / जिला विधि,
[VIII-16/2016(Vol.-III)]
दिनांक 11/06/2016

फोन नं. :– 06456–222530, 222535
फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :– **पंकज दीक्षित,** भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

राष्ट्रीय लोक अदालत

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।
अपर समाहर्त्ता, किशनगंज।
उप विकास आयुक्त, किशनगंज।
अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, किशनगंज–सह–अररिया।
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, पी.एच.डी., किशनगंज।
अवर प्रमंडल पदाधिकारी, दूरभाष, किशनगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला।
सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज / ठाकुरगंज।
लोक अभियोजक / सरकारी वकील / जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज।

विषय :– **किशनगंज जिलान्तर्गत दिनांक 09.07.2016 को आयोजित होने वाली "राष्ट्रीय लोक अदालत" में Electricity/Water/Telephone/Public Utility Disputes से संबंधित वादों के निस्तार के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ अवर न्यायाधीश, प्रथम–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पत्रांक 780, दिनांक 17.05.2016 द्वारा **किशनगंज जिला में व्यवहार न्यायालय परिसर में दिनांक 09.07.2016 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10.00 बजे विभागीय मामलो के निष्पादन हेतु "राष्ट्रीय लोक अदालत"** आयोजन की सूचना प्राप्त है। तद्संबंधी सूचना पूर्व में कार्यालय ज्ञापांक 531 / जि.विधि, दिनांक 20.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः **दिनांक 09.07.2016** को आयोजित होने वाली **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** में Electricity/Water/Telephone/Public Utility Disputes से संबंधित वादों का अधिक से अधिक निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय तथा निष्पादित होने वाले वादों की सूची दिनांक 15.06.2016 एवं अंतिम सूची दिनांक 30.06.2016 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जाय।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार करायेंगे। साथ ही, सभी जन प्रतिनिधियों को भी एतद् विषयक सूचना अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज भी अपने स्तर से तद्नुसार कार्रवाई करेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज कार्यपालक न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों को भी उक्त **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** के संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करेंगे। **अपर समाहर्त्ता, किशनगंज उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अनुश्रवण भी करेंगे।**

विश्वासभाजन,

10/06/16

(पंकज दीक्षित)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।